न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना जिला झुन्झनुं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
115/2019	धारा 91 एल.आर.एक्ट	15.10..2019	04.11.2019

उनवान सरकार बनाम प्रसांत गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

–: निर्णय :–

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का ढाणा ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम ढाणा की राजकीय भूमि ख0 न0 436,437 कुल रकबा 0.50 व 5.50 है0 किस्म बारानी 2–3 गै0 मु0 नदी मे से 0.30 व 0.11 है0 भूमि पर अतिक्रमी प्रसांत गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी सिंघाना में अवैध रूप से चारदीवारी लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी से प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 कि धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी उपस्थित होकर साक्ष्य सबूत पेंश करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया।

इसके उपरान्त अतिकमी को जबाब एंव साक्ष्य सबुत पेश करने हेतु अवसर दिया जाने पर आज दिंनाक 04.11.2019 को अतिकमी उपस्थित होकर जबाब पेश किया गया जिसमे अतिकमी ने जबाब में अभिकथन किया है कि ख0न0436,437 मैजा ढाणा उक्त भूमि पर प्रार्थी का कोई अतिक्रमण नही है। जो कब्जा है पिता औमप्रकाश का 30 वर्ष पुराना कब्जा है एंव उसी द्वारा किया डण्डा है। जो हमारी खातेदारी भूमि में लगा हुआ है।

पत्रावली मे उपलब्ध जबाब नोटिस एंव उसके संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया तथा बगैर मनन किया गया। प्रथमतया अतिकमी का यह कथन भी है कि प्रकरण स0 63/19 मे श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय झुन्झुनू स्थगन है प्रार्थी के खिलाफ कब्जा है व खातेदारी भूमि का डन्डा (चार दिवारी) तोड़ना चाहते है अतः हमारी उपस्थिति में नपती की जावे। जो कि स्थगन भूमि मे स्थगन आदेश होना बताया है जो कि अन्य पत्रावलीयो मे नही है व पटवारी हल्का द्वारा भूमि नपती की जाकर ही रिपोर्ट की गई है सरकारी भूमी पर अतिकमण प्रकरण दर्ज है खातेदारी भूमि से कोई संम्बध नही है अतः प्रार्थी के कथन को बल नही देता है कार्यवाही ड्रोप करने की सिद्ध नही करता है बल्कि अतिकमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिकमण करना साबित पाया जाता है

उक्त अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत ग्राम ढाणा के ख0न0 436,437 रकबा 0.30 व 0.11 है (चार दीवारी) अनधिकृत रूप से किये गये अतिकमण

Scanned with CamScanner